उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

सत्यमेव जयते

विज्ञप्ति

स्टाफ नर्स (महिला) परीक्षा, 2017, जो दिनांक **17 दिसम्बर, 2017** को आयोजित हुई थी, में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों, जिन्होंने **निर्धारित तिथि तक** परम्परागत आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित कर दिया है, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग** में अधिमान्यता के विकल्प का चयन करना है। इस हेतु आयोग की **वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in** पर जाकर "Click here to submit Preference details for STAFF NURSE (FEMALE) EXAMINATION-2017 under Advt. No. A-1/E-1/2017" पर क्लिक करें। क्लिक करने पर अधिमान्यता चयन हेतु एक पेज प्रदर्शित होगा जिसमें उक्त अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि इत्यादि सूचनायें अंकित कर ''चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं विभाग'' तथा ''चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग'' में से अधिमान्यता-1 अथवा 2 का चयन करना है। उक्त विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर अधिमान्यता-1 चयन करने पर दूसरे विकल्प पर अधिमान्यता-2 स्वतः चयन हो जाएगा। तदुपरान्त (Preveiw) पर क्लिक कर अधिमान्यता चयन को भली-भॉति देख लें। सही एवं संतुष्ट होने पर सबमिट (Submit) करें अथवा "Reset" कर पुनः सही विकल्प चुनने के उपरान्त सबमिट (Submit) बटन को क्लिक करें। **एक बार सबमिट (Submit) बटन को क्लिक कर देने पर किसी भी दशा में अधिमान्यता में परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।**

2. अधिमान्यता चयन फार्म सबमिट करने के उपरान्त उसे तथा पता पर्ची (ऐड्रेस स्लिप) मुद्रित कर लें। उक्त कार्यवाही दिनांक 21.08.2018 तक अवश्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

3. तद्पश्चात प्रस्तर-2 में उल्लिखित तथा मुद्रित किये गये अधिमान्यता प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर उसे एक लिफाफे में भर कर तथा लिफाफे पर प्रस्तर-2 के अनुसार मुद्रित की गयी पता पर्ची चस्पा कर दिनांक 25.08.2018 को सायं 5.00 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 (परीक्षा अनुभाग-6) 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या-3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउन्टर (पूॅछताछ काउन्टर) पर अवश्य उपलब्ध करा दें।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक उपर्युक्त प्रकार से अधिमान्यता चयन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नही की जाती है, उनके सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं विभाग को अधिमान्यता-1 तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को अधिमान्यता-2 स्वतः मान लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में पुनः अधिमान्यता चयन सम्बन्धी दावा किसी भी दशा में स्वीकार्य नही होगा।

संख्या- 04/1/ई-6/2016-17 — **दया शंकर पाण्डेय**

दिनांक : इलाहाबाद 09 अगस्त, 2018 — **(परीक्षा नियंत्रक)**